"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2019—पौष 6, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11 नवम्बर 2019

क्रमांक ई 1-01/2019/1-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री भीम सिंह, भा.प्र.से. (2008), आयुक्त, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अपने वर्तमान कर्तव्य के साथ-साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री प्रभात मिलक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, रायपुर विकास प्राधिकरण, अतिरिक्त प्रभार संचालक, संस्थागत वित्त को अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त संचालक, संस्थागत वित्त के पद पर पदस्थ करते हुए अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

रायपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/3910.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-4/32(2)/भा.अधि./2019-20/7134, रायपुर दिनांक 06-02-2019 द्वारा श्री बी. एल. गजपाल, संयुक्त कलेक्टर बालोद को कृषि उपज मंडी समिति बालोद, जिला बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला मुंगेली, छ.ग. का ज्ञापन क्रमांक/7980/व.लि. 1/स्था./2019 बालोद, दिनांक 16-09-2019 द्वारा श्री ए. के. बाजपेयी, अपर कलेक्टर जिला बालोद को कृषि उपज मंडी समिति बालोद, जिला बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री बी. एल. गजपाल, संयुक्त कलेक्टर बालोद का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री ए, के. बाजपेयी अपर कलेक्टर जिला बालोद को कृषि उपज मंडी सिमिति बालोद, जिला बालोद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2019

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2019-20/4163.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/32/भा.अधि./2014-15/3320, रायपुर दिनांक 25-09-2014 द्वारा श्री नागेश्वर लाल पाण्डे, उपसंचालक कृषि, जिला कबीरधाम को कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा, जिला कबीरधाम का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला कबीरधाम, छ.ग. का पत्र क्रमांक-मंडी/8652/विविध/2019-20 कबीरधाम दिनांक 28-09-2019 द्वारा श्री विपुल गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कवर्धा को कृषि उपज मंडी समिति कवर्धा, जिला कबीरधाम का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया है.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री नागेश्वर लाल पाण्डे, उपसंचालक कृषि, कबीरधाम का स्थानांतरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर श्री विपुल गुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जिला कबीरधाम को कृषि उपज मंडी सिमिति कवर्धा, जिला कबीरधाम का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

अभिनव अग्रवाल, प्रबंध संचालक.

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई नेवई, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ (तकनीकी शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर)

भिलाई, दिनांक 27 नवम्बर 2019

क्रमांक छस्वावितवि/प्रशा./2019/3349.—छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 की धारा 66 (2) के तहत्, राज्यपाल/कुलाधिपित द्वारा दिनांक 05 अप्रैल 2017 को अनुमोदन उपरांत छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई अध्यादेश क्रमांक 31-"विश्वविद्यालय द्वारा देय विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों के लिए वेतनमान सिहत अर्हताएं एवं सेवा शर्तों सम्बंधी अध्यादेश", एतद्द्वारा अधिसूचित किया जाता है. यह अध्यादेश राज्यपाल/कुलाधिपित के अनुमोदित की तिथि से प्रवृत्त होता है.

अस्वीकरण: अध्यादेश अंग्रेजी में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा अनुमोदित है. अनुमोदित अध्यादेश का यह हिन्दी अनुवाद है. यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित अध्यादेश मान्य होगा.

छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई

अध्यादेश क्रमांक — 31 (अनुच्छेद 38 की धारा 15 देखें)

विश्वविद्यालय द्वारा देय विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य संवर्गों के लिए वेतनमान सहित अर्हताएं एवं सेवा शर्तों सम्बंधी अध्यादेश

1.1 भर्ती एवं अर्हताएं-

- 1.1.1 सहायक प्राध्यापक, सह—प्राध्यापक, प्राध्यापक, निदेशक, विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय उप निदेशक, विश्वविद्यालय उप निदेशक, विश्वविद्यालय उप निदेशक, विश्वविद्यालय जिथ्वविद्यालय उप निदेशक, विश्वविद्यालय निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेल पदों पर सीधी भर्ती अखिल भारत स्तर पर विज्ञापन एवं छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 की धारा 46 के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा चयन के माध्यम से योग्यता के आधार पर होगी।
- 1.1.2 सहायक प्राध्यापक, सह—प्राध्यापक, प्राध्यापक, निदेशक, विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय उप ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय ग्रंथपाल, विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, विश्वविद्यालय उप निदेशक, विश्वविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल पदों के लिए आवश्यक न्यूनतम अर्हताएं एआईसीटीई/यूजीसी जैसी स्थिति हो, द्वारा जारी विनियमों के अनुसार होगी।
- 1.1.3 अर्हता सम्बंधी समस्त प्रमाण-पत्र मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से होने चाहिए।
- 1.1.4 शैक्षिक पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों द्वारा एम.फिल/एम.ई./एम.टेक और/अथवा पीएच.डी. डिग्री प्राप्त करने के लिए व्यतीत अविध अध्यापन/शोध के अनुभव के रूप में मान्य नहीं होगा।
- 2.1 अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी, एम.सी.ए., प्रबंधन, भेषजी, वास्तुकला, नगर आयोजन के शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती

कार्यक्रम	संवर्ग	न्यूनतम अर्हताएं	अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)
अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी,	सहायक प्राघ्यापक	बी.ई./बी.टेक. या एम.ई./एम.टेक. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ संबंधित संकाय में बी.ई./बी.टेक. एवं एम.ई./एम.टेक.	
एम.सी.ए.	सहायक प्राघ्यापक	बी.ई./बी.टेक. या एम.ई./एम.टेक. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ संबंधित संकाय में बी.ई./बी.टेक. एवं एम.ई./एम.टेक.	
		अथवा	
		बी.ई. / बी.टेक. या एम.सी.ए. में प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ बी.ई. / बी.टेक. एवं एम.सी.ए.	
		अथवा	
		प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष के साथ एम.सी.ए. के साथ दो वर्षों का संबंधित अनुभव.	

शोध क्षेत्र में अनुभव की स्थिति में, उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड एवं

पुस्तकों / शोध पत्रों का प्रकाशन / आई.पी.आर / पेटेंट

(1)	(2)	(3)	(4)
प्रबंधन	सहायक प्राघ्यापक	प्रथम श्रेणी अथवा समकक्ष में व्यवसाय प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा समकक्ष तथा 2 वर्ष का संबंधित अनुभव वांछनीय.	
भेषजी	सहायक प्राघ्यापक	स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ भेषजी में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि.	
वास्तुकला	सहायक प्राध्यापक	वास्तुकला में स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ वास्तुकला में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि.	
नगर आयोजन	सहायक प्राध्यापक	रनातक या रनातकोत्तर उपाधि में प्रथम श्रेणी या समकक्ष के साथ नगर आयोजन में रनातक एवं रनातकोत्तर उपाधि.	
	सह प्राघ्यापक	उपरोक्तानुसार सहायक प्राघ्यापक पद की अर्हता, जैसा लागू हो, एवं उपयुक्त संकाय में पीएच.डी., पीएच.डी. उपरांत प्रकाशन एवं पीएच.डी. विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अतिवांछनीय.	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम दो वर्षों का अनुभव पीएच.डी. उपरांत वांछनीय है. वास्तुकला के संदर्भ में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 5 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव भी मान्य होगा.
	प्राघ्यापक	उपरोक्तानुसार सह प्राघ्यापक पद के लिए अर्हता, जैसा लागू हो, पीएच.डी. उपरांत प्रकाशन एवं पीएच.डी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अतिवांछनीय.	शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम 5 वर्षों का अनुभव सह—प्राध्यापक स्तर में हो. या शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्षों का अनुभव.

(1) (2) (3)

संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें। यदि औद्योगिक अनुभव को मान्य किया जाता है तो वह, सह प्राध्यापक के समकक्ष प्रबंधकीय स्तर का हो, जिसमें साथ ही उपाय/अभिकल्पन, आयोजन, क्रियान्वयन, विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, नवाचार, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों / शोध पत्र प्रकाशन / आई.पी.आर/पेटेंट आदि के रूप में, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें, सक्रिय प्रतिभागिता हो. वास्तुकला के संदर्भ में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 10 वर्षो व्यावसायिक अनुभव भी मान्य होगा.

निदेशक

उपरोक्तानुसार प्राध्यापक पद की अर्हता, जैसा लागू हो।

पीएच.डी. उपरांत प्रकाशन एवं पीएच.डी विद्यार्थियों का मार्गदर्शन अतिवांछनीय. शिक्षण / शोध / उद्योग में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से कम से कम 3 वर्षों का अनुभव प्राध्यापक स्तर में हो,

या

शिक्षण और/अथवा शोध और/अथवा उद्योग में न्यूनतम 13 वर्षों का अनुभव।

शोध क्षेत्र में अनुभव की स्थिति में, उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड एवं पुस्तकों / शोध पत्रों का प्रकाशन / आई.पी.आर / पेटेंट संबंधी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें. (1) (2) (3) (4)

यदि औद्योगिक अनुभव को मान्य किया जाता है तो वह, प्राध्यापक के समकक्ष प्रबंधकीय स्तर का हो, जिसमें साथ ही उपाय/अभिकल्पन विकास आयोजन, क्रियान्वयन. विश्लेषण, गुणवत्ता नियंत्रण, नवाचार, प्रशिक्षण, तकनीकी पुस्तकों / शोध पत्र प्रकाशन आई.पी.आर/पेटेंट आदि के रूप में सक्रिय प्रतिभागिता हो. जैसा चयन समिति के विशेषज्ञ सदस्य उचित समझें. प्रबंधन में अभिरूचि एवं नेतृत्व का गुण अनिवार्य है. वास्तुकला के संदर्भ में वास्तुकला परिषद द्वारा यथा प्रमाणित 10 वर्षो व्यावसायिक अनुभव भी मान्य होगा.

- (i) पीएच.डी. की समतुल्यता, अभ्यर्थी के मुख्य लेखक के रूप में पांच अंतर्राष्ट्रीय जर्नल पेपर्स के प्रकाशन के आधार पर होगी, जिसमें से प्रत्येक जर्नल का संचित प्रभाव सूचकांक 2.0 से कम नहीं होगा और समस्त पांच प्रकाशन लेखक के विशेषज्ञता क्षेत्र में होगा.
- (ii) पीएच.डी. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से होगा.
- (iii) किसी पदधारी सहायक प्राघ्यापक के लिए सहायक प्राध्यापक पद के अनुभव को सह—प्राध्यापक पद के अनुभव के समतुल्य माना जावेगा, बशर्ते कि उस पदधारी सहायक प्राध्यापक ने संबंधित संकाय में पीएच.डी. उपाधि अर्जित की हो.
- (iv) डिप्लोमा (पत्रोपाधि) संस्थाओं में अनुभव को भी स्नातक स्तर की संस्थाओं में अनुभव के समुचित स्तर एवं जैसा लागू हो, के समतुल्य माना जावेगा. तथापि उपरोक्तानुसार शैक्षणिक अर्हता अनिवार्य होगा.
- (v) यदि श्रेणी प्रदान नहीं की जाती है, तो कुल अंको में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंको को प्रथम श्रेणी के समतुल्य माना जावेगा.
- 2.2 विज्ञान एवं मानिविकी में शैक्षिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम अर्हताएं-

2.2.1 सहायक प्राघ्यापक :--

- (i) किसी मान्यता प्राप्त भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ मानविकी एवं विज्ञान के उपयुक्त विषय में स्नातकोत्तर उपाधि.
- (ii) उपरोक्त अर्हता पूर्ण करने के अतिरिक्त, अभ्यर्थी द्वारा यू.जी.सी., सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (एन.ई.टी.) अथवा यू.जी.सी. द्वारा प्रत्यायित समान परीक्षा जैसे एस.एल.ई.टी. / एन.ई.टी. भी उत्तीर्ण की गई हो.

(iii) इस खण्ड के उप खण्ड (i) और (ii) में किसी बात के अन्तर्विष्ट होते हुए भी, ऐसे अभ्यर्थी, जिसके पास 2009 से पूर्व प्रदान की गई पीएच.डी. उपाधि हो, या जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम 2009 (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने के लिए न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) के अनुरूप 2009 के पश्चात, पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो, उसे विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक पद पर चयन एवं नियुक्ति हेतु एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी. की न्यूनतम योग्यता शर्त की अपेक्षा में छूट प्रदान की जाएगी.

2.2.2 सह-प्राध्यापक

- (i) सहायक प्राध्यापक पद हेतु उपर्युक्तानुसार अर्हता एवं प्रासंगिक विषय में पीएच.डी. उपाधि.
- (ii) सहायक प्राध्यापक के समकक्ष किसी शैक्षणिक / शोध पद पर शिक्षण / शोध का न्यूनतम 6 वर्षों का अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के जर्नल में उत्तम प्रभाव कारक के साथ न्यूनतम तीन प्रकाशन.
- (iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद विनियम, 2012 में सन्निहित मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित निष्पादन (पी.बी.ए.एस.) के आधार पर शैक्षिक निष्पादन संकेतक (ए.पी.आई.) में यथा निर्दिष्ट न्यूनतम अंक.

2.2.3 प्राध्यापक

- (i) सह-प्राध्यापक पद हेतु उपर्युक्तानुसार अर्हता.
- (ii) विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में शिक्षण, और / अथवा विश्वविद्यालय / राष्ट्रीय स्तर की संस्था / उद्योग में शोध में न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव, जिसमें से 5 वर्ष सह प्राध्यापक स्तर में हो, जिसमें डॉक्टोरल स्तर पर शोध के लिए उम्मीदवारों का मार्ग दर्शन करने का अनुभव भी शामिल है.

या

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में अध्यापन और/अथवा विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय स्तर के संस्थान/उद्योग में शोध में न्यूनतम 13 वर्षों का अनुभव.

(iii) प्रकाशित कार्य का साक्ष्य जिसमें न्यूनतम चार प्रकाशन अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के जर्नल में उत्तम प्रभाव कारक के साथ हो.

(iv

(iii) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार, पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो या की जावे, उन्हें विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल के चयन एवं नियुक्ति के लिए आवश्यक एन.ई.टी./एस.एल.ई.टी./एस.ई.टी. की न्यूनतम अर्हता से छूट प्रदान की जावेगी.

2.3.2 उप ग्रंथपाल

- (i) न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको या उसके समतुल्य यू.जी.सी. सात बिन्दु पैमाने में 'बी' ग्रेड, के साथ पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि एवं सतत उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड.
- (ii) विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल / महाविद्यालय ग्रंथपाल के रूप में पांच वर्षों का अनुभव.
- (iii) अभिनव पुस्तकालयीन सेवा एवं प्रकाशित कार्यों के व्यवस्थापन और व्यावसायिक प्रतिबद्धता, पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण संबंधी साक्ष्य.
- (iv) वांछनीयः पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन/पुरालेख एवं पांडुलिपि संधारण/ पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण में एम.फिल/पीएच.डी. उपाधि.

2.3.3 विश्वविद्यालय ग्रंथपाल

- (i) पुस्तकालय विज्ञान/सूचना विज्ञान/प्रलेखन विज्ञान में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको या उसके समतुल्य यू.जी.सी. सात बिन्दु पैमाने में 'बी' ग्रेड, के साथ स्नातकोत्तर उपाधि एवं सतत उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड.
- (ii) विश्वविद्यालय में उप ग्रंथपाल के रूप में न्यूनतम 13 वर्ष अथवा विश्वविद्यालय में सहायक ग्रंथपाल / महाविद्यालय ग्रंथपाल के रूप में 18 वर्ष का अनुभव.
- (iii) अभिनव पुस्तकालयीन सेवा एवं प्रकाशित सामग्रियों के व्यवस्थापन संबंधी साक्ष्य.
- (iv) वांछनीयः पुस्तकालय विज्ञान / सूचना विज्ञान / प्रलेखन / पुरालेख एवं पांडुलिपि संधारण / पुस्तकालय का कम्प्यूटरीकरण में एम.फिल / पीएच.डी. उपाधि.
- 2.4 सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, उपनिदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल, निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल पदों के लिए न्यूनतम अर्हता

2.4.1 विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल

- (i) सतत् उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड सिहत न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको (या समतुल्य ग्रेड जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुसरण किया जाता है) के साथ शारीरिक शिक्षा अथवा क्रीड़ा विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि.
- (ii) अंतर विश्वविद्यालयीन/अंतर महाविद्यालयीन प्रतिस्पर्धाओं अथवा राज्य और/या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का प्रतिनिधित्व करने संबंधी साक्ष्य.
- (iii) इस उद्देश्य के लिए यूजीसी अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य किसी एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर परीक्षा में उत्तीर्ण.
- (iv) इन विनियमों के अनुसार आयोजित शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण.

(v) तथापि, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक एवं प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार, पीएच.डी. उपाधि प्रदान की गई हो या की जावे, उन्हें विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के चयन एवं नियुक्ति के लिए आवश्यक एन.ई.टी. / एस.एल.ई.टी. / एस.ई.टी. की न्यूनतम अर्हता से छूट प्रदान की जावेगी.

2.4.2 विश्वविद्यालय उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल

- (i) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी. इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय निकाय से बाहरी अभ्यर्थियों को न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको (या समतुल्य ग्रेड जहां ग्रेडिंग प्रणाली का अनुरसरण किया जाता है) के साथ स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए.
- (ii) विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल / महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के रूप में आठ वर्षों का अनुभव, पीएच.डी. और एम.फिल. उत्तीर्ण होने पर क्रमशः 2 वर्ष और एक वर्ष की छूट.
- (iii) प्रतियोगिता आयोजित करने एवं न्यूनतम 2 सप्ताह की अवधि के कोचिंग कैंप संचालित करने संबंधी साक्ष्य.
- (iv) राज्य/राष्ट्रीय/अंतर-विश्वविद्यालयीन/संयुक्त विश्वविद्यालयीन स्पर्धाओं, आदि के लिये उत्तम प्रदर्शन करने वाली टीम/एथलीट बनाने सम्बंधी साक्ष्य.
- (v) इन विनियमों के अनुरूप शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा उत्तीर्ण.
- (vi) सतत उत्तम मूल्यांकन प्रतिवेदन.

2.4.3 विश्वविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल

- (i) शारीरिक शिक्षा में पीएच.डी.
- (ii) विश्वविद्यालय उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के रूप में न्यूनतम दस वर्षों का अथवा विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल / महाविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के रूप में पन्द्रह वर्षों का अनुभव.
- (iii) न्यूनतम दो राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय सेमीनार/सम्मेलनों में सहभागिता.
- (iv) सतत उत्तम मूल्यांकन प्रतिवेदन.
- (v) स्पर्धाएं आयोजित करने एवं न्यूनतम 2 सप्ताह की अवधि के कोचिंग कैंप संचालित करने संबंधी साक्ष्य.
- (vi) राज्य / राष्ट्रीय / अंतर—विश्वविद्यालयीन / संयुक्त विश्वविद्यालयीन स्पर्धाओं, आदि के लिये उत्तम प्रदर्शन करने वाली टीम / एथलीट बनाने सम्बंधी साक्ष्य.

2.4.4 शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा मानदण्ड

- (अ) इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन, ऐसे समस्त अभ्यार्थियों को जिन्हें शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा देना अनिवार्य है, उन्हें चिकित्सकीय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होना होगा, जिसमें प्रमाणित हो कि वह ऐसी परीक्षाओं के लिए चिकित्सकीय आधार पर स्वस्थ है.
- (ब) ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, जैसा कि उपरोक्त उप कंडिका (अ) में उल्लेखित है, अभ्यर्थी को निम्न मानदण्डों के अनुरूप शारीरिक उपयुक्तता परीक्षा देनी होगी —

पुरूषों के लिए मानदण्ड

12 मिनट पैदल चाल परीक्षा

30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1800 मीटर	1500 मीटर	1200 मीटर	800 मीटर

महिलाओं के लिए मानदण्ड

8 मिनट पैदल चाल परीक्षा

30 वर्ष तक	40 वर्ष तक	45 वर्ष तक	50 वर्ष तक
1000 मीटर	800 मीटर	600 मीटर	400 मीटर

2.5 बिंदु पैमाने पर ग्रेड बिंदु की प्रतिशत समतुल्यता :

यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान ग्रेड में परिणाम घोषित करते हैं, अभ्यर्थियों को प्रदान किए जाने वाले सी.जी.पी.ए. के संबंध में, समतुल्य प्रतिशत की सारणी संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जावेगी. समतुल्य प्रतिशत की सारणी के अभाव में ए.आई.सी. टी.ई./यू.जी.सी. विनियम, जैसा लागू हो, को आधार लेकर, रैखिक अंतरवेशण का उपयोग किया जावेगा.

- 3.1 उपरोक्त समस्त पदों के कैरियर उन्नित योजना सिंहत समस्त चयन प्रक्रिया में ए.आई.सी.टी.ई. / यू.जी.सी. विनियम, यथा स्थिति जो भी लागू हो, में सिन्निहित "मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित निष्पादन (पी.ए.बी.एस)" के आधार पर "शैक्षणिक निष्पादन संकेतक (ए.पी.आई.)" पूर्ण पारदर्शिता से लागू किया जावेगा. ए.आई.सी.टी. ई. / यू.जी.सी. यथा स्थिति जो लागू हो, द्वारा ए.पी.आई और पी.बी.ए.एस. में समय—समय पर किए जाने वाले संशोधनों को अंगीकृत किया जावेगा.
- 3.2 प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक एवं अन्य संवर्गों के पदो पर खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति एवं कार्यरत अध्यापकों की कैरियर उन्नित योजना के माध्यम से पदोन्नित के लिये न्यूनतम अर्हताओं एवं शर्तों से संबंधित किसी मुद्दे पर यदि इस अध्यादेश में कोई उल्लेख नहीं हो, तो ए.आई.सी.टी.ई./यू.जी.सी. विनियम, यथा स्थिति जो लागू हो, को आधार माना जावेगा.
- 3.3 प्राध्यापक, सह प्राध्यापक और सहायक प्राध्यापक एवं अन्य संवर्गों के पदो पर खुले विज्ञापन द्वारा नियुक्ति एवं कार्यरत अध्यापकों की कैरियर उन्नित योजना के माध्यम से पदोन्नित के लिये न्यूनतम अर्हताओं एवं शर्तों के सम्बंध में ए.आई.सी.टी.ई. / यू.जी.सी. विनियम, यथा स्थिति जो लागू हो द्वारा किये गए संशोधन, विश्वविद्यालय द्वारा अनुकूलन किए जाने पर लागू होंगे.

- 3.4 अनर्हताएं : अनर्हता की शर्तें, इस संबंध में छ.ग. राज्य शासन द्वारा समय—समय पर प्रतिपादित नियमों के अनुरूप, लागू होंगी.
- 3.5 चयनित अभ्यर्थी दो वर्षों की परिवीक्षा पर नियुक्त किये जावेंगे।

3.6 आयु सीमा

पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा
सहायक प्राध्यापक	21 वर्ष	40 वर्ष
सह प्राध्यापक		50 वर्ष
प्राध्यापक	_	58 वर्ष
निदेशक	_	58 वर्ष
विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल	21 वर्ष	30 वर्ष
विश्वविद्यालय उप ग्रंथपाल	_	50 वर्ष
विश्वविद्यालय ग्रंथपाल	_	58 वर्ष
विश्वविद्यालय सहायक निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल	21 वर्ष	30 वर्ष
विश्वविद्यालय उप निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल	_	50 वर्ष
विश्वविद्यालय निदेशक, शारीरिक शिक्षा एवं खेल	_	58 वर्ष

टीप: 1.सहायक प्राध्यापक, विश्वविद्यालय सहायक ग्रंथपाल तथा विश्वविद्यालय सहायक निदेशक शारीरिक शिक्षा एवं खेल पदों के पीएच.डी. उपाधिधारी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट रहेगी.

- 2.छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों के लिए लागू आयु सीमा में छूट केन्द्र से वित्त पोषित संस्थाओं एवं केन्द्र शासन के कर्मचारियों के लिए भी लागू होंगे.
- 3.7 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य विशिष्ट संवर्गों के व्यक्तियों को आरक्षण, आयु सीमा में शिथिलता और अन्य छूट संबंधी प्रावधान छ.ग. शासन द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए जाने वाले आदेशों के अनुरूप लागू होंगे.
- 3.8 विशिष्ट पाठ्यक्रम में संकाय पदों के लिए, स्नातक/स्नातकोत्तर/पीएच.डी. में अध्ययन की शाखा का निर्धारण, चयन समिति द्वारा नियुक्ति हेतु विज्ञापन के प्रकाशित होने के पूर्व किया जावेगा.
- 3.9 सतत उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड का अर्थ है कि अभ्यर्थी को 10+2/मैट्रिक, रनातक और रनातकोत्तर में कम से कम 55 प्रतिशत अंको (अथवा बिंदु पैमाने पर समतुल्य ग्रेड, जहां ग्रेडिंग पद्धित का पालन किया जाता है) के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए.
- 3.10 डिजाइन, माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स / नैनोटेक्नॉलाजी, एनर्जी एंड एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, बायो—मेडीकल इंजीनियरिंग और बायो—इन्फॉर्मेटिक्स जैसे अंतर—शिक्षण शाखा में एम.टेक. स्तर के पाठ्यक्रम के लिए चयन समिति एम.एस.सी. और पीएच.डी को संकाय पदों के चयन हेतु सम्मिलित करने का निर्णय कर सकती है.

Bhilai, the 27th November 2019

No. ভ্রম্বানিবি/प्रशा./2019/3349.—Under section 66 (2) of Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University (Amendment) Act, 2014 after the approval of the Governor/Chancellor on 05 April 2017 Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University, Bhilai Ordinance No. 31 - "Ordinance for Qualifications and Conditions of Appointment including Pay Scales of the Teachers and other cadre of the University payable by the University", is hereby notified. This Ordinance is effective from the date of approval by the Governor/Chancellor.

CHHATTISGARH SWAMI VIVEKANAND TECHNICAL UNIVERSITY BHILAI

Ordinance No. 31

(Refer clause 15 of Section 38)

Ordinance for Qualifications and Conditions of Appointment including Pay Scales of the Teachers and other cadre of the University payable by the University

Recruitment and Qualifications

- 1.1.1 The direct recruitment to the post of Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Director, University Assistant Librarian, University Deputy Librarian, University Librarian, University Assistant Director, University Deputy Director, University Director of Physical Education and Sport shall be on the basis of merit through all India advertisement and selections by the duly constituted Selection Committee as specified in Section 46 of Chhattisgarh Swami Vivekanand Technical University Act 2004.
- 1.1.2 The minimum qualifications required for the Assistant Professor, Associate Professor, Professor, Director, University Assistant Librarian, University Deputy Librarian, University Librarian, University Assistant Director, University Deputy Director, University Director of Physical Education and Sport shall be in accordance with regulations prescribed by AICTE/UGC as applicable.
- 1.1.3 All the degrees in qualifications shall be from a recognized University/Institute.
- 1.1.4 The period of time taken by candidates to acquire M. Phil/ME/MTech and / or Ph.D. Degree shall not be considered as teaching /research experience to be claimed for appointment to the teaching position.
- 2.1 Direct Recruitment for teaching positions in Engineering and Technology, MCA, Management, Pharmacy, Architecture, Town Planning

Programme	Cadre	Qualifications	Experience
(1)	(2)	(3)	(4)
Engineering	Assistant	BE/BTech and ME/MTech in relevant	-
And	Professor	branch with First Class or equivalent	
Technology		either in BE/BTech or ME/MTech.	
MCA	Assistant	BE/BTech and ME/MTech in relevant	
	Professor	branch with First Class or equivalent either in BE/BTech or ME/MTech.	
		OR	
		BE/ BTech and MCA with First class	
		or equivalent in either BE / BTech or	
		MCA.	
		MCA with first class or equivalent	
		with two years relevant experience.	

(1)	(2)	(3)	(4)
Management	Assistant Professor	First Class or equivalent in Masters Degree in Business Administration or equivalent and 2 years relevant experience is desirable.	
Pharmacy	Assistant Professor	Bachelors and Masters Degree in Pharmacy with First Class or equivalent either in Bachelors or Masters Degree.	
Architecture	Assistant Professor	Bachelors and Masters Degree in Architecture with First Class or equivalent either in Bachelors or Masters Degree.	
Town Planning	Assistant Professor	Bachelors and Masters Degree in Town Planning with First Class or equivalent either in Bachelors or Masters Degree.	
	Associate Professor	Qualification as above that is for the post of Assistant Professor, as applicable and PhD or equivalent, in appropriate discipline Post PhD publications and guiding PhD student is highly desirable.	Minimum of 5 years experience in teaching/ research / industry of which 2 years post PhD experience is desirable.
			In case of Architecture, Professional Practice of 5 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.
	Professor	Qualification as above that is for the post of Associate Professor, as applicable Post PhD publications and guiding PhD students is highly desirable.	Minimum of 10 years teaching/research/ industrial experience of which at least 5 years should be at the level of Associate Professor.
			or
			Minimum of 13 years experience in teaching and/or research and/or Industry. In case of research experience, good academic record and books/research paper publications / IPR / patents record shall be required as deemed fit by the expert members of the selection committee. If the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Associate Professor with active partici pation record in devising/designing, planning, executing,

(1) (2) (3) (4)

> analyzing, quality control, innovating, training, technical books/research paper publications / IPR / patents, etc as deemed fit by the expert members of the Selection committee. In case of Architecture,

Professional Practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.

Director

Qualification as above that is for the post of Professor, as applicable.

Post PhD publications and guiding PhD students is highly desirable.

Minimum of 10 years experience in teaching/ Research/Industry out of which at least 3 years shall be at the level of Professor.

or

Minimum of 13 years experience in teaching and/or Research and/or Industry. case of research experience, good academic record and books /research publications /IPR/ paper patents record shall be requiredas deemed fit by the expert members of the Selection committee.

the experience in industry is considered, the same shall be at managerial level equivalent to Professor level with active participation record devising/ in designing, developing, planning, executing, analyzing, quality control, innovating, training, technical books / research paper publications / IPR / patents, etc as deemed fit by the expert members of the Selection committee.

Flair for Management and Leadership is essential. In case of Architecture, Professional Practice of 10 years as certified by the Council of Architecture shall also be considered valid.

i. Equivalence for PhD is based on publication of 5 International Journal papers, each Journal having a cumulative impact index of not less than 2.0, with incumbent as the main author and all 5 publications being in the authors' area of specialization.

- PhD shall be from a recognized University.
- iii. For an incumbent Assistant Professor, experience at the level of Assistant Professor will be considered equivalent to experience at the level of Associate Professor, provided the incumbent Assistant Professor has acquired or acquires Ph. D Degree in the relevant discipline.
- iv. Experience at Diploma Institutions is also considered equivalent to experience in degree level Institutions at appropriate level and as applicable. However, qualifications as above shall be mandatory.
- If a class/ division is not awarded, minimum of 60% marks in aggregate shall be considered equivalent to first class/ division.

2.2 Minimum qualification for Direct Recruitment for teaching positions in Science and Humanities

2.2.1 ASSISTANT PROFESSOR

- Master's degree in relevant subject of Humanities and Sciences with first class or equivalent, at Bachelor's or Master's level from any recognized Indian University.
- Besides fulfilling the above qualifications, the candidate must have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by the UGC, CSIR or similar test accredited by the UGC like SLET/SET.
- iii. Notwithstanding anything contained in sub-clauses (i) and (ii) to this Clause; a candidate, who has a Ph.D. Degree awarded before 2009, or has been awarded a Ph.D. Degree after 2009 in accordance with the University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulations, 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment as Assistant Professor in the University.

2.2.2 ASSOCIATE PROFESSOR

- Qualification as above for the post of Asstt. Professor and Ph.D. degree in relevant subject.
- A minimum of 6 years of experience in teaching or research at an academic/research position equivalent to that of Assistant Professor and minimum of 3 publications with good impact factor in International Journal of repute.
- iii. A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based on Appraisal System (PBAS), set out in AICTE Regulation 2012.

2.2.3 PROFESSOR

- Qualification as above for the post of Associate Professor.
- ii. A minimum of 10 years of teaching experience in university/college, and/or experience in research at the University/National level institutions/industries out of which 5 years should be at the level of Associate Professor including experience of guiding candidates for research at doctoral level.

OR

Minimum of 13 years of teaching experience in University/college, and/or experience in research at the University/National level Institutions/industries.

- Evidence of published work with a minimum of 4 publications with good impact factor in International Journal of repute.
- iv. A minimum score as stipulated in the Academic Performance Indicator (API) based on Performance Based Appraisal System (PBAS), set out in this Regulation in AICTE Regulation 2012.

2.3 Minimum Qualifications for Direct Recruitment to the Posts of Assistant Librarian, Deputy Librarian and Librarian in the University

2.3.1 UNIVERSITY ASSISTANT LIBRARIAN

- A Master's Degree in Library Science / Information Science / Documentation Science or an equivalent professional degree with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) and a consistently good academic record with knowledge of computerization of library.
- Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC.
- iii. However, candidates, who are, or have been awarded Ph.D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of University Assistant Librarian.

2.3.2 UNIVERSITY DEPUTY LIBRARIAN

- A Master's Degree in library science/information science/documentation with at least 55% of the marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale and a consistently good academic record.
- ii. Five years experience as an University Assistant Librarian/College Librarian.
- Evidence of innovative library service and organization of published work and professional commitment, computerization of library.
- Desirable: A M.Phil./Ph.D. Degree in library science/information science/ Documentation / Archives and manuscript-keeping/computerization of library.

2.3.3 UNIVERSITY LIBRARIAN

- A Master's Degree in Library Science /Information Science/documentation with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale and a consistently good academic record.
- At least thirteen years as a Deputy Librarian in a university library or eighteen years' experience as a University Asstt Librarian /College Librarian.
- iii. Evidence of innovative library service and organization of published work.
- Desirable: A M.Phil./Ph.D. Degree in library science/information science / documentation/archives and manuscript-keeping.
- 2.4 Minimum Qualifications for the posts of Assistant Director of Physical Education And Sports, Deputy Director of Physical Education and Sports, Director of Physical Education and Sports,

2.4.1 UNIVERSITY ASSISTANT DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

- i. A Master's Degree in Physical Education or Master's Degree in Sports Science with at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) with a consistently good academic record.
- ii. Record of having represented the university/college at the inter-university /inter-collegiate competitions or the State and/ or national championships.
- iii. Qualifying in the national level test conducted for the purpose by the UGC or any other agency approved by the UGC.
- iv. Passed the physical fitness test conducted in accordance with these Regulations.

v. However, candidates, who are, or have been awarded Ph.D. degree in accordance with the "University Grants Commission (Minimum Standards and Procedure for Award of Ph.D. Degree), Regulations 2009, shall be exempted from the requirement of the minimum eligibility condition of NET/SLET/SET for recruitment and appointment of University Assistant Director of Physical Education & Sports.

2.4.2 UNIVERSITY DEPUTY DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

- (i) A Ph.D. in Physical Education. Candidates from outside the university system, in addition, shall also possess at least 55% marks (or an equivalent grade in a point scale wherever grading system is followed) at the Master's degree level by the University concerned.
- (ii) Eight years experience as University Assistant DPES/College DPES, with a benefit of two years and one year for Ph.D. and M.Phil. Degree holders.
- (iii) Evidence of organizing competitions and conducting coaching camps of at least two weeks duration.
- (iv) Evidence of having produced good performance teams/athletes for competitions like state/ national/inter-university/combined university, etc.
- (v) Passed the physical fitness test in accordance with these Regulations.
- (vi) Consistently good appraisal reports.

2.4.3 UNIVERSITY DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS

- (i) A Ph.D. in Physical Education.
- (ii) Experience of at least ten years as University Deputy or fifteen years as University Assistant DPEs/College DPES.
- (iii) Participation in at least two national/international seminars/conferences.
- (iv) Consistently good appraisal reports.
- Evidence of organizing competitions and conducting coaching camps of at least two weeks' duration.
- (vi) Evidence of having produced good performance teams/athletes for competitions like state/ national/inter-university/combined university, etc.,

2.4.4 Physical Fitness Test Norms

- (a) Subject to the provisions of these Regulations, all candidates who are required to undertake the physical fitness test shall be required to produce a medical certificate certifying that he/she is medically fit before undertaking such tests.
- (b) On production of such certificate mentioned in sub-clause (a) above, the candidate would be required to undertake the physical fitness test in accordance with the following norms:

NORMS FOR MEN

12 MINUTES WALK TEST

Up to 30 years	Up to 40 years	Up to 45 years	Up to 50 years
1800 metres	1500 metres	1200 metres	800 metres

NORMS FOR WOMEN

8 MINUTES WALK TEST

Up to 30 years	Up to 40 years	Up to 45 years	Up to 50 years
1000 metres	800 metres	600 metres	400 metres

2.5. PERCENTAGE EQUIVALENCE OF GRADE POINTS FOR A POINT SCALE:

It is hereby clarified that where the University/College/Institution declare results in grade, in respect of CGPA awarded to the candidates, the table of percentage equivalence shall be provided by the University concerned. In case of absence of table of percentage equivalence, AICTE/UGC regulation as applicable will be taken as reference using linear interpolation.

- 3.1 The AICTE/UGC Regulation as applicable, containing the Academic Performance Indicator (API) based Performance Based Appraisal System (PBAS) will be followed transparently in all the selection processes, including Career Advancement scheme (CAS) for all the posts above. The time to time changes amended by the AICTE/UGC as applicable in the API and PBAS will be adopted.
- 3.2 In case this ordinance is silent on any issues relating to Minimum qualifications and conditions for the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors and other cadre in the University for appointment of persons through open Advertisement and promotion of working teachers through career Advancement Scheme (CAS) the AICTE / UGC regulations as applicable shall be referred.
- 3.3 Any amendments made by the AICTE / UGC as applicable in respect of minimum qualifications and conditions for the post of Professors, Associate Professors and Assistant Professors and other cadre in the University for appointment of persons through open advertisement and promotion of working teachers through CAS will be applicable.
- 3.4 Disqualifications: The conditions for disqualification will be applicable in accordance with the rules laid down by Govt of Chhattisgarh from time to time in this regard.
- 3.5 The selected candidates shall be appointed on probation for two years.

3.6 The age limit:

Name of Post	Minimum Age Limit	Maximum Age Limit
Assistant Professor	21 Years	40 Years
Associate Professor		50 Years
Professor	-	58 Years
Director	-	58 Years
University Assistant Librarian	21 years	30 Years
University Deputy Librarian	-	50 Years
University Librarian	-	58 Years
University Assistant Director of Physical Education and Sports	21 years	30 Years
University Deputy Director of Physical Education and Sports		50 Years
University Director of Physical Education and Sports		58 Years

- Note:- 1. There will be age relaxation of five years for the candidates possessing PhD degree applying for the post of Assistant Professor, University Assistant Librarian and University Assistant Director of Physical Education and Sports.
 - Age relaxation as applicable to Chhattisgarh Government employees will also be applicable to employees of Centrally Funded Institutions and Central Government.

- 3.7 Reservations, relaxations in age limit and other concessions required to be provided for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons will be in accordance with the orders issued by Govt. of Chhattisgarh from time to time in this regard.
- 3.8 For faculty positions in the specific courses, the branch of study of graduation/post graduation/Ph D may be determined by the selection committee before publishing the advertisement for recruitment.
- 3.9 Constantly good academic records means the candidate should have passed 10+2/Matriculation, Graduation and Post graduation with at least 55 % marks (or equivalent grade in a point scale where ever grading system is followed).
- 3.10 For interdisciplinary M Tech level courses like Design, Micro Electronics/Nano Technology, Energy and Environmental Engineering, Bio-medical Engineering and Bio-informatics, the selection committee may also decide inclusion of qualifications like M Sc and PhD for faculty positions.

डॉ. के. के. वर्मा, कुलसचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 3rd July 2019

No. 749/Confdl./2019/II-2-1/2019.—The Registry order No. 745/Confdl./2019/II-2-1/2019 dated 02-07-2019 is modified to the extent that Ku. Udai Laxmi Parmar, I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate, Janjgir stands transferred as Additional District and Sessions Judge (F.T.C.), Janjgir and Shri Jagmohan Shankar Patel, Civil Judge Class-I, Akaltara stands transferred as II Additional District and Sessions Judge, Janjgir.

Bilaspur, the 8th July 2019

No. 770/Confdl./2019/II-3-1/2019.—The following members of Lower Judicial Service, as mentioned in column No. (2) of the table below, who are holding the post of Civil Judge Class-II and who have been posted on deputation as mentioned in column No. (3) vide State Government's order no. 675/217/XXI-B/C.G./18 dated 19-01-2018 and order/endt. 6682/2184/XXI-B/C.G./19 dated 04-07-2019 respectively, are hereby promoted and appointed on the post of Senior Civil Judge on proforma basis, from the date they assume charge of their post:

TABLE

S.No. (1)	Name of Judicial Officer (2)	Posted as (3)
1.	Shri Brijesh Rai	Secretary, District Legal Services Authority, Bilaspur
2.	Smt. Namita Minj Bhaskar	Deputy Secretary, Government of Chhattisgarh, Law & Legislative Affairs Department, Atal Nagar, Nawa Raipur.

By order of the High Court, NEELAM CHAND SANKHLA, Registrar General.